संख्या 126-1 जी.एस.-1-72/963

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मंडल, सभी उपायुक्त और हरियाणा के सभी उप मंडल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 17 जनवरी, 1972

विषय:- हरियाणा लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किये गये मांग पत्र।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सम्बोधित करते हुए यह कहूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1970-71 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अवलोचनाएँ की हैं :-

(I) मांग पत्रों में त्रुटियां थीं और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए नियुक्ति अधिकारियों को कई संदर्भ लिखने पड़े ।

(II) कई विभाग, विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन-पत्रों को आयोग के कार्यालय में उन द्वारा निश्चित की गई पावती की अंतिम तिथि से पूर्व भेजने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप विभागीय उम्मीदवार प्रवरण (सिलेक्शन) के अवसर से वंचित रहे ।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपनी 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में भी इसी प्रकार की अवलोचनाएँ की थी और पत्र क्रमांक 6317-1 जी एस-0/21913 दिनांक 20-8-70 द्वारा निम्नलिखित हिदायतें कड़ी पालना के लिए जारी की गई ।

(i) सरकार ने अपने पत्र संख्यां 7048-5-जी एस-69/ 1676 दिनांक 26 जनवरी, 1969 द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को हिदायतें जारी की थी कि आयोग को भेजे जाने वाले मांग पत्र भली भांति और पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिएं । यह जरुरी है कि आयोग की बातों को ध्यान में रखा जाए और सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतें का कठोरता से पालन किया जाए ताकि पदों की भर्ती में जो देरी आयोग को बार बार पत्र व्यवहार करने में होती है उसे आगे के लिए समाप्त किया जा सके ।

(ii) यह अतीव चिन्ता की बात है कि विभागों की ओर से विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ठीक समय पर न भेजे जाने के कारण उन्हें हानि हो। विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चत करें कि उपयुक्त विभागीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आयोग द्वारा नियत अंतिम प्राप्ति तिथि से पूर्व लोक सेवा अयोग को समय पर भेज दिए जाएं। यह विभागीय उम्मीदवारों के हितों तथा पदों के उचित चयन के लिए जरूरी है ।

3. सरकार ने गम्भीरता से नोट किया है कि कुछ केसों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और यह पुनः कहना पड़ रहा है कि अनुदेशों का भविष्य में कठोरता से पालन करने के लिए विशेष सावधानी वर्ती जाए। इस मुआमले की महता पर जितना भी बल दिया जाए वह कम होगा तथा यह आवश्यक है कि इस प्रकार की त्रुटियां पुनः न हों ।

4. लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी नोटिस में लाया गया है कि कई विभाग जब कर्मचारियों का पदोन्नति के